

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय  
Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research  
हैदराबाद Hyderabad

पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायतें और पेंशन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में दिनांक **05.05.2022** को 1030 से 1600 बजे तक एएमडी से सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लाभ के लिए नेशनवाइड पेंशन अदालत आयोजन किया जा रहा है। अदालत का मुख्य उद्देश्य मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन शिकायत के शीघ्र और त्वरित निवारण होगा।

Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research is conducting a Nation-wide **Pension Adalat on 05.05.2022** from **1030 hrs to 1600 hrs** for the benefit of pensioners who retired from AMD, as directed by the Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions. The main objective of the Adalat would be prompt and quick redressal of pension grievance within the framework of extant policy guidelines.

पेंशनभोगियों / परिवारिक पेंशनरों से अनुरोध है कि वे पीपीओ के विवरण के साथ अपनी शिकायतें ई-मेल [amdpa.amd@gov.in](mailto:amdpa.amd@gov.in) पर पंजीकृत करें। शिकायत पंजीकरण फॉर्म एएमडी वेबसाइटों <http://www.amd.gov.in> और <http://www.dae.gov.in/amd> में उपलब्ध है। पेंशनभोगी या उसके प्रतिनिधि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार विशिष्ट शिकायत विशेष पीपीओ की प्रति के साथ इस अदालत में भाग ले सकते हैं:

The pensioners/family pensioners are requested to register their grievances with details of PPO through email [amdpa.amd@gov.in](mailto:amdpa.amd@gov.in). Grievance Registration form is available in AMD websites <http://www.amd.gov.in> & <http://www.dae.gov.in/amd> The Pension Adalat will be conducted through Video Conferencing. Link for the VC for conducting the Adalat will be provided for their participation, if they so desire.